बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र०6 विविध –12/2020 1556 खाद्य, पटना / दिनांक 08/04/2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के कंडिका 20 में उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किये जाने का निदेश दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को अनुदानित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान पर राज्य खाद्य निगम द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है। खाद्यान्न आवंटन, उठाव एवं वितरण का सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से हो रहा है तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता e-PoS मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। विषम परिस्थिति यथा कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन लागू हो जाने पर गरीब तथा दैनिक मजदूर के समक्ष रोजी–रोटी की उत्पन्न समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है। इसी क्रम में नियमित खाद्यान्न के आवंटन के अतिरिक्त मुफ्त में भी आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाना है, इसके लिए यह आवश्यक है कि उचित मूल्य की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखते हुए पदाधिकारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण नियमित रूप से की जाय। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 859 दिनांक 26.02.2001 तथा पत्रांक 9958 दिनांक 31.12.2014 द्वारा जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को दुकानों का निरीक्षण करने हेतु मापदंड निर्धारित करते हुए विहित प्रपत्र भी संलग्न किया गया है। e-PoS मशीन से खाद्यान्न वितरण किये जाने के कारण विहित प्रपत्र में भी संशोधन की आवश्यकता हो गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों के लिए निरीक्षण के लिए निर्धारित मापदण्ड पुनः निम्नवत निर्धारित किया जाता है–

1. आपूर्ति निरीक्षक को अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक माह सभी उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण निश्चित रूप से करना है। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपने से उच्चाधिकारियों को देना अनिवार्य होगा।

2. शहरी क्षेत्र के पणन पदाधिकारी / आपूर्ति कार्य के प्रभारी पदाधिकारी को अपने शहरी क्षेत्र के सभी उचित मूल्य की दुकान का महीना में एक बार निरीक्षण अवश्य कर लेना है। ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने क्षेत्र के 50 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण माह में एक बार अवश्य कर लेना है, शेष बचे हुए 50 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण अगले माह में निश्चित रूप से कर लेना है। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपने से उच्चाधिकारियों को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

3. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपने कार्य क्षेत्र के दुकानों में से 10 (दस) प्रतिशत दुकानों का तथा सहायक अनुभाजन पदाधिकारी को क्षेत्रान्तर्गत कुल दुकानों का 20 (बीस) प्रतिशत का निरीक्षण महीने में एक बार अवश्य कर लेना है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपने से उच्चाधिकारियों को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

4. अनुमण्डल पदाधिकारी को अनुमण्डल क्षेत्र में स्थित दुकानों में से 5 (पाँच) प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण महीने में एक बार करना है।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिला में स्थित दुकानों में से 3 (तीन) प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण महीने में एक बार करना है।

6. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) पटना तथा विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानों में से 2 (दो) प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण महीने में एक बार करना है।

7. अपर समाहर्त्ता/जिला आपूर्ति के वरीय पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानों में से 1 (एक) प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण महीने में एक बार करना है।

8. जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित दुकानों में से 1 (एक) प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण महीने में एक बार करना है।

उपर्युक्त निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने वरीय पदाधिकारी को सामान्यतया तीन दिनों के अंदर प्रेषित कर देना होगा। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन विभाग के वेबसाईट पर PDS Online Inspection Management System के Section पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी पायी गयी या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया तो उस क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक, पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखण्ड स्तर से जिला स्तर तक आपूर्ति कार्य के प्रभारी पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा तथा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित कराया जाय कि निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधी आदेश का पालन तत्परतापूर्वक हो और दिये गये अनुदेश के अनुसार मासिक प्रतिवेदन विभाग द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस विभाग को निर्धारित तिथि तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– प्र०6-विविध-12/2020 1556 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/04/2020
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– प्र०6-विविध-12/2020 1556 खाद्य, पटना/दिनांक– 08/04/2020
प्रतिलिपिः– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण प्रतिवेदन

1. पदाधिकारी का नाम/पदनाम ....

2. जिला/प्रखंड/पंचायत/शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या ....

3. तिथि एवं समय ....

4 ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम एवं e-PoS FPS Code ....

5. अनुज्ञप्ति संख्या/नवीकरण की स्थिति

6. माप तौल का निबंधन संख्या/नवीकरण की स्थिति ....

7. दुकान खुली है ? हाँ ☐ नहीं ☐

8. विक्रेता उपस्थित है ? हाँ ☐ नहीं ☐

9 दुकान के बाहर सूचना पट प्रदर्शित है ? हाँ ☐ नहीं ☐

10. दुकान के अन्दर मूल्य भंडार प्रदर्शन पट प्रदर्शित है ? हाँ ☐ नहीं ☐

11. मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट पर सभी सूचनाएँ अद्यतन एवं सही पाया ? हाँ ☐ नहीं ☐

12. दुकान के भवन की स्थिति :—अनुज्ञप्ति में वर्णित स्थान पर है ? हाँ ☐ नहीं ☐ अन्य स्थान..............................

13. सम्बद्ध उपभोक्ताओं/आवंटना—

योजना	परिवारों की संख्या	परिवार के सदस्यों की संख्या	कुल लाभुकों की संख्या	उठाव (मात्रा क्विंटल किलों में) तेल लीटर में		
				गेहूँ	चावल	किरासन तेल
PHH						
AAY						
NFSA + NON NFSA						

14. खाद्यान्न आपूर्ति (DSD) की तिथि..

किरासन तेल उठाव की तिथि..............................

15. खाद्यान्न का वितरण किस माह का किया जा रहा है?..............................

16. किरासन तेल का वितरण किस माह का किया जा रहा है?..............................

17. e-PoS मशीन के अनुसार खाद्यान्न वितरण एवं अवशेष की मात्रा—

योजना	वितरण (मात्रा क्विंटल किलों में) तेल लीटर में			अवशेष (मात्रा क्विंटल किलों में) तेल लीटर में		
	गेहूँ	चावल	किरासन तेल	गेहूँ	चावल	किरासन तेल
PHH						
AAY						
NFSA + NON NFSA						

18 खाद्यान्न/किरासन तेल के भौतिक सत्यापन में अंतर पाया गया या नहीं ? अगर हाँ तो उसकी विवरणी —

19. उपभोक्ताओं के बयान के आधार पर मंतव्य —

20. निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितता —

अनुलग्नकः— उपभोक्ताओं का बयान संलग्न करें।

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपभोक्ताओं से पूछताछ के बाद खाद्यान्न वितरण की स्थिति का प्रपत्र

खाद्यान्न का नियमित आवंटन						अतिरिक्त आवंटन
PHH	02 किलो गेहूँ	02 रू0 प्रति किलो प्रति व्यक्ति	AAY	14 किलो गेहूँ	02 रू0 प्रति किलो प्रति परिवार	
PHH	03 किलो चावल	03 रू0 प्रति किलो प्रति व्यक्ति	AAY	21 किलो चावल	03 रू0 प्रति किलो प्रति परिवार	

10 (दस) उपभोक्ताओं का बयान

क्र0	उपभोक्ताओं का नाम	कार्ड सं0	कार्ड में यूनिट की संख्या	PHH प्रति व्यक्ति		AAY प्रति परिवार		अतिरिक्त वितरण PHH/AAY प्रति व्यक्ति	निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न मिला है या नहीं		अतिरिक्त 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त में मिला है या नहीं ?		उपभोक्ता का हस्ताक्षर एवं निशान
				गेहूँ 02 किलो	चावल 03 किलो	गेहूँ 14 किलो	चावल 21 किलो	चावल 05 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर